प्रेस को सूचनाएं (प्रेस विज्ञप्ति नं। 43/2018)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

विषय: विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की दरों को ट्राई वेबसाइट / पोर्टल पर उपलब्ध कराना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल 2018: ट्राई अधिनियम 1997 के अनुसार, ट्राई को पारदर्शिता पर एक महत्वपूर्ण जनादेश प्राप्त है। वर्तमान में, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) अपनी वेबसाइटों पर टैरिफ को दर्शाते हैं। उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता(टीएसपी) और विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के टैरिफ देखने को सक्षम करने के लिए, पोर्टल का एक बीटा संस्करण **www.tariff.trai.gov.in** पर आज ट्राई द्वारा जारी किया गया है।

आसान पहुंच के लिए, विभिन्न टैरिफ प्लान और अन्य टैरिफ साधन डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में ट्रैफिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस वेबसाइट से उपभोक्ताओं को न केवल लाभ होगा बल्कि तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए अन्य हितधारकों को भी मदद मिलेगी।

उपभोक्ताओं से इस पोर्टल के अनुभव की शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए, दिल्ली एलएसए के टैरिफ डेटा के बीटा संस्करण को भी ट्राई वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। टीएसपी द्वारा प्रदत्त दिल्ली एलएसए की टैरिफ विवरण वेबसाइट / पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

उपभोक्ताओं और हितधारकों से अनुरोध है कि ट्राई वेबसाइट पर उपभोक्ता-व्यू में उपलब्ध "फीडबैक" विकल्प पर क्लिक करके फीडबैक/जानकारी प्रदान करें।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए **श्री संजीव बाँझल,** सलाहकार (आईटी एंड सीए), ट्राई के टेलीफोन नंबर **011-23210990** अथवा ईमेल-आईडी **advisorit@trai.gov.in** पर संपर्क किया जा सकता है।

16.4.2018

(सुनील कुमार गुप्ता)
सचिव, ट्राई